

6.17

सं०सं०-1 / विविध-13 / 2017-

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आर० के० महाजन,
प्रधान सचिव-सह-सचिव,
बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,
राज्य स्वास्थ्य समिति कैम्पस,
शेखपुरा, पटना।

सेवा में,

सचिव,
भारतीय चिकित्सा परिषद्,
पॉकेट-14, सेक्टर-8,
द्वारका फेज-1,
नई दिल्ली-110077

पटना, दिनांक- / / 2017

विषय:- शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार के लिए एक प्रतिनिधि को नामित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सिविल अपील सं०-5041 / 2005 में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-12.08.2005 को पारित न्यायादेश के आलोक में शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार का गठन किया गया है। पारित न्यायादेश के अनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति में एम०सी०आई० के एक प्रतिनिधि भी होंगे।

वर्णितस्थिति में अनुरोध है कि शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार के लिए एम०सी०आई० के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु किसी सक्षम पदाधिकारी को नामित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(आर० के० महाजन)

ज्ञापांक:- 673(1)

/स्वा०, पटना, दिनांक- 21/ 6 / 2017

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति कैम्पस, शेखपुरा, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

21/6/17

प्रधान सचिव-सह-सचिव,
बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।